धारा 10 : उपकर के आगमों का निधि में जमा करना

(1) धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के आगम और ऐसी अन्य रकम, जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, माल और सेवा कर प्रतिकर निधि के रूप में ज्ञात गैर–व्यपगतीय निधि में जमा किए जाएंगे जो भारतीय लोक लेखा का भाग होंगे, और उनका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(2) धारा 7 के अधीन राज्यों को संदेय समस्त रकम, निधि में से संदत्त की जाएगी।

(3) संक्रमण अवधि की समाप्ति पर निधि में से शेष बची अनुपयोजित पचास प्रतिशत रकम केन्द्र के हिस्से के रूप में भारत की संचित निधि में अन्तरित कर दी जाएगी और अतिशेष पचास प्रतिशत, संक्रमण अवधि के अन्तिम वर्ष में, यथास्थिति, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर से राज्यों के कुल राजस्व के अनुपात में उनके बीच वितरित की जाएगी।

[1][(3क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय पर, ऐसी रकम का, जो निधि में शेष बची अनुपयोजित है, पच्चास प्रतिशत्, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, केन्द्र के भाग के रूप में भारत की संचित निधि में अंतरित हो जाएगा और बकाया पचास प्रतिशत् का वितरण राज्यों के बीच धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में किया जाएगा

परन्तु किन्हीं दो मास की अवधि के लिए धारा 7 के अधीन निर्मुक्त किए जाने वाले प्रतिकर की आवश्यकता के लिए निधि में संगृहीत रकम में कमी की दशा में, उसका पचास प्रतिशत्, किन्तु जो केन्द्र और राज्यों को अंतरित ऐसी कुल रकम से जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अधिक न हो, केन्द्र से और शेष पचास प्रतिशत् राज्यों से धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में वसूल किया जाएगा।]

(4) निधि से सम्बन्धित लेखे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(5) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

---

1 माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 34) द्वारा उपधारा (3क) अंत:स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर), दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।